ओमकारा एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्रा. लि.

OMKARA ASSETS RECONSTRUCTION PVT. LTD.

कॉर्पोरेट कार्यालयः कोहिनूर स्क्वायर, 4वीं मंजिल, एन.सी. केलकर मार्ग, आर.जी. गडकरी चौक, दादर पश्चिम, मुंबई – 400028. फोन : 022–69231111 / 9833546349

[परिशिष्ट – IV-A] [नियम 9(1) के साथ पठित 8(6) का परंतुक देखें]

अचल संपत्ति की ई–नीलामी बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल आस्तियों की बिक्री के लिए ई–नीलामी बिक्री नोटिस

इसके द्वारा आम जनता को और विशेष रूप से **योगेश यादव (उधारकर्ता) और अनुभा आर्या, सह–उधारकर्ता, (HHLNOD00398694)** को यह सूचना दी जाती है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति सुरक्षित ऋणदाता को गिरवी / प्रभारित की गई है, जिसका कब्जा सम्मान कैपिटल लिमिटेड (पूर्व में इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड) (अब ओमकारा एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को सौंपा गया है) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, जो सुरक्षित ऋणदाता है।

इसके अलावा, **ओमकारा एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड (ओएआरपीएल) ने ओमकारा पीएस 22/2024–25 ट्रस्ट के ट्रस्टी** के रूप में कार्य करते हुए, असाइनर सम्मान कैपिटल लिमिटेड (इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड) से 29.03.2025 के असाइनमेंट समझौते के तहत अंतर्निहित सुरक्षा के साथ–साथ संपूर्ण बकाया ऋण का अधिग्रहण कर लिया है। उक्त असाइनमेंट समझौते के अनुसार, ओएआरपीएल ने असाइनर की जगह ले ली है और बकाया राशि वसूलने और सुरक्षा लागू करने का हकदार है। तदनुसार, उपर्युक्त उधारकर्ता/गारंटर / बंधककर्ताओं से ओएआरपीएल कुल बकाया राशि **रु. 1,05,09,013/– (रु. एक करोड़ पाँच लाख नौ हजार तेरह मात्र) दिनांक 27.05.2021 तक और प्लस दिनांक 28.05.2021 से** ब्याज और व्यय इत्यादि की वसूली हेतु नीचे वर्णित अचल संपत्ति "जैसा है जहां है", "जैसा है जो है" और "जो कुछ भी है" और "बिना किसी सहारे" के आधार पर बेची जाएगी। संपत्तियों को सरफेसी अधिनियम के प्रावधानों के तहत अधिकारों और शक्तियों का प्रयोग करते हुए बेचा जाएगा। संपत्ति का आरक्षित मूल्य और जमा धरोहर राशि का उल्लेख नीचे संबंधित कॉलम में किया गया है।

क्र. सं.	अचल सम्पत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य	ईएमडी	कर्जदार और सह–कर्जदार
1	फ्लैट नंबर 104, प्रथम तल, टावर 11 एफ, गोदरेज समिट, सेक्टर 104, गुरुग्राम, हरियाणा – 122001 बिल्ट–अप एरिया – 1647 वर्ग फीट	रु. 70,00,000/-	रु. 7,00,000/-	योगेश यादव – (उधारकर्ता) अनुभा आर्य – (सह–उधारकर्ता)

बोली वृद्धि राशि	Rs.1,00,000/-
निरीक्षण की तिथि एवं समय	06.07.2026 (पूर्वा. 11.00 बजे से अपरा. 04.00 बजे तक)
भागीदारी के बोली पत्र/केवाईसी दस्तावेज/ईएमडी का प्रमाण प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि और समयः	13.07.2026 को अपरा. 04.00 बजे तक
नीलामी की तिथि	14.07.2026 को अपरा 03.00 बजे से अपरा. 04.00 बजे तक

ज्ञात देनदारीः उपरोक्त फ्लैट सं. 104, टॉवर एफ, गोदरेज समिट, गुरुग्राम के संबंध में डेवलपर का देय बकाया राशि रु. 18.74 लाख साथ में अर्जित ब्याज रु. 17.50 लाख दिनांक 21.01.2025 तक और दिनांक 22.01.2025 से उस पर भावी ब्याज भी देय होगा। उपरोक्त बकाया राशि के अतिरिक्त निम्नलिखित शुल्क भी देय हैः **होल्डिंग शुल्क दिनांक 31.12.2024 तक – रु. 8.16 लाख, कॉमन एरिया मेंटेनेंस एवं विद्युत शुल्क – रु. 5.69 लाख (दिनांक 31.12.2024 तक), स्टाम्प शुल्क – रु. 7.53 लाख,** उक्त फ्लैट के लिए क्रय मूल्य के अतिरिक्त क्रेता को उपर्युक्त समस्त डेवलपर बकाया एवं अन्य देय शुल्कों का भुगतान करना होगा।

नीलामी ओएआरपीएल द्वारा ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। ईएमडी (मूल डिमांड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर अथवा एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से प्रेषण) सहित बोली (ऑनलाइन तथा हार्ड कॉपी दोनों) प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 13 जुलाई, 2026 को सायं 4:00 बजे तक है। बोली प्रस्तुत करते समय, बोलीदाता को दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 29(ए) के तहत एक शपथपत्र प्रस्तुत करना होगा।

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए कृपया सुरक्षित लेनदार वेबसाइट यानी **http://omkaraarc.com/auction.php** में दिए गए लिंक का संदर्भ ले सकते है।

जिन इच्छित बोलीदाताओं ने ईएमडी जमा कर दिया है और उन्हें लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाने, डेटा अपलोड करने, बोली प्रस्तुत करने, ई–बोली प्रक्रिया पर प्रशिक्षण आदि में सहायता की आवश्यकता है, वे ई–नीलामी सेवा प्रदाता **"मैसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड टेलीफोन–हेल्पलाइनः +91–7291981124/25/26, हेल्पलाइन ई–मेल आईडीः support@bankeauctions.com** से संपर्क कर सकते हैं संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए आधिकारिक घंटों और कार्य दिवसों में अधिकृत अधिकारी, **श्री राजेंद्र भोसले, मोबाइलः +91 9833546349 ई मेलः rajendra.bhosale@omkaraarc.com** से संपर्क करें। प्रस्तुत करने में विफलता की स्थिति में वही बोली अस्वीकार कर दी जाएगी।

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(1) के साथ पठित 8(6) के अंतर्गत बिक्री हेतु वैधानिक सूचना

यह नोटिस प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(1) के साथ पठित 8(6) और वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत उपरोक्त ऋण खाते के उधारकर्ता(ओं) को कम से कम **15 (पंद्रह) दिन** का अनिवार्य नोटिस है, जिसमें उन्हें उपरोक्त तिथि और समय पर ई–नीलामी के माध्यम से बिक्री के आयोजन के बारे में सूचित किया जाता है, साथ ही यह सलाह भी दी जाती है कि यदि वे चाहें तो सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 13(8) के प्रावधानों के अनुसार ब्याज, लागत और व्यय के साथ ऊपर उल्लिखित बकाया राशि का भुगतान करके आस्तियों को मुक्त कर सकते हैं। भुगतान में चूक की स्थिति में, प्राधिकृत अधिकारी/प्रतिभूति ऋणदाता के विवेक पर संपत्ति को प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(5) के अंतर्गत निर्धारित किसी भी तरीके से बेचा जाएगा।

तिथिः 23.06.2026
स्थानः मुम्बई

हस्ता/- प्राधिकृत अधिकारी
कृते ओमकारा एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड
(ओमकारा पीएस 22/2024-25 ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता में कार्यरत)

केनरा बैंक Canara Bank

भारत सरकार का उपक्रम — A Government of India Undertaking

सिंडिकेट Syndicate

शाखा चौकी चौराहा (2150)

कब्जा नोटिस [धारा 13(4)]

जबकि अधोहस्ताक्षरी **केनरा बैंक** के प्राधिकृत अधिकारी ने प्रतिभूतिकरण तथा वित्तीय आस्तियों का पुनःनिर्माण एवं प्रतिभूति हित का प्रर्वतन अधिनियम 2002 (सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा-54) के नियम 3 के साथ धारा 13 (12) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाते के सामने उल्लिखित तिथि को बैंक द्वारा मांग सूचना जारी की गई थी तथा जिसके आगे यह कहा गया कि सूचना प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर बकाया चुकता कर दें।

ऋणी द्वारा राशि चुकता न करने पर एतद्वारा ऋणी और आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्राधिकृत अधिकारी ने उपरोक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के नियम 8 के साथ पठित प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए इसमें उपरोक्त लिखित संपत्ति का कब्जा ले लिया गया है।

उधारकर्ता को विशिष्ट रूप से व आम जनता को सामान्य रूप से सचेत किया जाता है कि वे इन संपत्तियों का सौदा करने में सचेत रहें और इन संपत्तियों के बारे में किसी प्रकार का सौदा उपरोक्त लिखी राशि और ब्याज के लिए केनरा बैंक के प्रभारों के अधीन होगा।

ऋणी / जमानतदार अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधान के अनुसार ध्यान दिलाते हैं कि दिए गए समय के अर्न्तगत भुगतान करके बन्धक आस्तियों को मुक्त करा लें।

क्रं. नं.	ऋणी/बंधककर्ता/ जमानतकर्ता का नाम	अचल सम्पत्ति का विवरण	बकाया राशि (रू.)	मांग सूचना की तिथि कब्जे की तिथि
1.	श्री छोटे लाल कश्यप (स्वर्गीय विजय कुमार के कानूनी उत्तराधिकारी और गारंटर) और श्रीमती शिखा कश्यप पत्नी विजय कुमार (स्वर्गीय विजय कुमार की कानूनी उत्तराधिकारी)	सम्पत्ति आवासीय इमारत का साम्यिक बंधक, प्राइवेट प्लॉट नंबर 23, तिरुपति धाम कॉलोनी में स्थित खसरा नंबर 409, 421, 422, गाँव इटौआ सुखदेवपुर, बरेली। क्षेत्रफलः 58.52 वर्ग मीटर। **चौहद्दीः उत्तर में:** श्री राजीव सक्सेना का घर, **दक्षिण में:** सचिन का घर, **पूर्व में:** सागर साहब का प्लॉट, **पश्चिम में:** 24 फीट चौड़ा रास्ता।	रू. 11,50,027.53/- + दिनांक 16.04.2026 से ब्याज एवं अन्य खर्चे	मांग सूचना तिथि 18.04.2026 कब्जा तिथि 20.06.2026

दिनांक 23.06.2026 स्थानः बरेली प्राधिकृत अधिकारी, केनरा बैंक

आधार हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड

Aadhar Housing Finance Ltd

कार्पोरेट कार्यालय :ऑफिस नं. 501 एवं 503, पाँचवी मंजिल, लाइटब्रिज, साकी विहार रोड, अंधेरी ईस्ट, मुंबई सुबुरबन (जिला), महाराष्ट्र-400072

आगरा शाखा : ऑफिस नं. 504, 5वीं मंज़िल, बिज़नेस स्क्वायर, ब्लॉक-ई-15/8, संजय प्लेस, आगरा 282002 (उत्तर प्रदेश)

आधिपत्य सूचना परिशिष्ट 4 (अचल संपत्ति हेतु)

जबकी, **आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (AHFL)** के प्राधिकृत अधिकारी के तौर पर सिक्युरीटाइजेशन एंड रिकंस्टक्शन ऑफ फायनेंशियल एसेट्स एण्ड इंफोर्समेन्ट ऑफ सिक्युरिटी इंटस्ट एक्ट 2002 एवं सिक्युरिटी इंटस्ट (इंफोर्समेन्ट) नियम 2002 का नियम 3 के साथ सपठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को उपयोग करते हुए कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उपरोक्त सूचना प्राप्ति के **60 दिवस** में नीचे सूचना में वर्णित राशि का पुर्नभुगतान करने के लिए ऋणकर्ताओ / प्रतिभूतिकर्ताओं को मांग सूचना (ए) जारी की थी। ऋणकर्ताराशि का पूर्नभुगतान करने में असफल रहे है, सिक्युरिटी इंफोर्समेन्ट नियम 2002 के नियम 8 के साथ सपठित उपरोक्त कानून की धारा 13 के सब-सेक्शन (4) के अंतर्गत के साथ प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए ऋणकर्ता(ओ)/ प्रतिभूतिकर्ता(ओ) एवं सामान्य जनों को सार्वजनिक रूप में सूचित किया जाता है वर्णित संपत्ति पर अधोहस्ताक्षरकर्ता ने अधिगृहण कर लिया है। धरोहर संपत्ति के एवज में संपत्ति को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय सीमा पर कानून की धारा 13 का सब सेक्शन (8) के प्रावधानों पर ऋणकर्ताएं ध्यान देवे। ऋणकर्ता को विशेष रूप में एवं सामान्य जनो को सार्वजनिक रूप से यह चेतावनी दी जाती है कि संपत्ति के साथ कोई व्यवहार न करें एवं संपत्ति के साथ कोई व्यवहार नीचे वर्णित राशि के साथ शेष देय ब्याज के लिए AHFL के शुल्क के विषयानुसार होगी।

क्रं	ऋणकर्ता(ओ)/प्रतिभूतिकर्ता(ओ) (शाखा का नाम)	धरोहर संपत्ति विवरण (अचल संपत्ति)	मांग सूचना का दिनांक एवं राशि	आधिपत्य की दिनांक
1	(लोन कोड नं. 01410000094 एवं 01410000426 / आगरा शाखा) नितिन वार्ष्णेय (ऋणी) अर्चना वार्ष्णेय एवं बाल किशन वार्ष्णेय (सह-ऋणी)	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, नगर पालिका नंबर 149/1 पर शॉप, हाथी गेट सुभाष रोड एटा उत्तर प्रदेश 207001 **चर्तुसीमाएँ:** पूर्व: शीतल कुमारी की शॉप, पश्चिम: ओम प्रकाश गुप्ता की शॉप, उत्तर: देवेन्द्र कुमार जैन की शॉप, दक्षिण: सुभाष रोड	13-05-2024 & 08-05-2024 & ₹ 14,15,361/-	19-06-2026

स्थान : उत्तर प्रदेश
दिनांक : 23.06.2026

प्राधिकृत अधिकारी
आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

ICICI Home Finance

पंजीकृत कार्यालय : आईसीआईसीआई बैंक टावर्स, बान्द्रा–कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बान्द्रा (ईस्ट), मुंबई–400 051

कार्पोरेट कार्यालय : आईसीआईसीआई एचएफसी टावर, जे.बी. नगर, अंधेरी कुर्ला रोड, अंधेरी ईस्ट, मुंबई–400 059
शाखा कार्यालय : आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, द्वितीय तल, विश्वकर्मा कॉम्प्लेक्स, प्लॉट नंबर 17/18, यशोदा अस्पताल के पीछे, कौशाम्बी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–201010

सांकेतिक कब्जा सूचना

जबकि,

अधोहस्ताक्षरी ने आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002, के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मांग सूचनाएं जारी की थी, जिसमें नीचे वर्णित कर्जदारों से सूचना में वर्णित राशि का भुगतान उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर करने की मांग की गई थी।

कर्जदार राशि चुकाने में असफल रहे हैं, एतद्द्वारा कर्जदारों और जनसाधारण को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा नीचे दी गई तिथियों को प्राप्त कर लिया है। कर्जदार को विशेष रूप से तथा जन साधारण को एतद्द्वारा सम्पत्ति के संबंध में संव्यवहार नहीं करने हेतु सावधान किया जाता है तथा सम्पत्ति के संबंध में कोई भी संव्यवहार आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड की बकाया राशि अदा करने के बाद ही किया जा सकता है।

कर्जदार का ध्यान, प्रत्याभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है।

क्र. सं.	कर्जदार/सह–कर्जदार का नाम/ ऋण खाता संख्या	सम्पत्ति का विवरण/ कब्जा की तिथि	मांग सूचना की तिथि/मांग सूचना में राशि (रू.)	शाखा का नाम
1.	आकिल हुसैन (कर्जदार), आदिल हुसैन (सह–कर्जदार), फ्लैट नंबर 1220, भू तल, सेक्टर–ए, पाकेट–ए, वसंत कुंज, नई दिल्ली, दिल्ली–110070 NHDEL00000792760	फ्लैट नंबर 109डी, तृतीय तल, (एमआईजी), ब्लॉक–एमआईजी, सेक्टर– 93 नोएडा, जिला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश–201301, सुपर/कवर्ड एरिया 100.62 वर्ग मीटर, चौहद्दी – उत्तर दिशा में साइट के अनुसार, दक्षिण दिशा में साइट के अनुसार कब्जा की तिथि – 18–जून–2026	01–01–2026 रू. 7,12,236/–	पश्चिमी दिल्ली–जनकपुरी
2.	आकिल हुसैन (कर्जदार), आदिल हुसैन (सह–कर्जदार), फ्लैट नंबर 1220, भू तल, सेक्टर–ए, पाकेट–ए, वसंत कुंज, नई दिल्ली, दिल्ली–110070 NHDEL00000743661	फ्लैट नंबर 109डी, तृतीय तल, (एमआईजी), ब्लॉक–एमआईजी, सेक्टर– 93 नोएडा, जिला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश–201301, सुपर/कवर्ड एरिया 100.62 वर्ग मीटर, चौहद्दी – उत्तर दिशा में साइट के अनुसार, दक्षिण दिशा में साइट के अनुसार कब्जा की तिथि – 18–जून–2026	01–01–2026 रू. 13,54,518/–	उत्तरी दिल्ली–पीतमपुरा

उपरि–वर्णित कर्जदार(रों)/गारंटर(रों) को एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि वे उक्त राशि का भुगतान 30 दिन के भीतर कर दें अन्यथा इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की अवधि समाप्त होने पर, उपरोक्त बंधक रखी सम्पतियां, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 और 9 के तहत प्रावधानों के अनुसार बेच दी जाएंगी।

तिथि : 23 जून, 2026, स्थान : नोएडा — प्राधिकृत अधिकारी, आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड

THRIVE FUTURE HABITATS LIMITED

(Formerly Known as Ador Multiproducts Limited)
CIN: L85110DL1948PLC465696
www.thrivefuturehabitats.com

भौतिक शेयरों के स्थानांतरण और डीमटेरियलाइज़ेशन (डीमैट) के लिए स्पेशल विंडो

कृपया ध्यान दें कि सेबी परिपत्र सं. **HO/38/13/11(2)2026-MIRSD-POD/I/3750/2026** (दिनांक 30 जनवरी, 2026) ("सेबी परिपत्र") के अनुसार, भौतिक शेयरों के स्थानांतरण और डीमटेरियलाइज़ेशन (डीमैट) के लिए एक स्पेशल विंडो 04 फरवरी, 2027 तक खुली रहेगी। यह सुविधा उन निवेशकों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने 01 अप्रैल, 2019 से पहले थ्राइव फ्यूचर हैबिटैट्स लिमिटेड ("कंपनी") के भौतिक शेयर खरीदे थे, और:

(क) शेयरों को स्थानांतरण के लिए जमा नहीं किया था, या

(ख) शेयरों को स्थानांतरण के लिए जमा किया था, लेकिन दस्तावेज में कमियों के कारण उन्हें निरस्त कर दिया गया, लौटा दिया गया या उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई।

स्पेशल विंडो की लागू होने की शर्तें

1 अप्रैल, 2019 से पहले किए गए डीड्स (deeds) के स्थानांतरण के लिए इस विंडो के लागू होने के बारे में और स्पष्टता के लिए, निवेशक नीचे दी गई मैट्रिक्स देख सकते हैं:

01 अप्रैल, 2019 से पहले स्थानांतरण के लिए जमा किया गया	क्या निवेशक के पास ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट उपलब्ध हैं?	क्या स्पेशल विंडो में जमा करने के लिए पात्र हैं?
नहीं – यह नया आवेदन है	हाँ	हाँ (सेबी परिपत्र में बताई गई शर्तों के अधीन)
हाँ, लेकिन पहले निरस्त/वापस कर दिया गया था	हाँ	
हाँ, जमा किया गया था	नहीं	नहीं
नहीं, जमा नहीं किया गया था	नहीं	नहीं

कृपया ध्यान दें कि स्पेशल विंडो के तहत केवल उन्हीं अनुरोधों पर विचार किया जाएगा जिनके साथ ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट, ट्रांसफर डीड और सेबी परिपत्र में बताए गए अन्य सहायक दस्तावेज होंगे।

अधिक जानकारी के लिए, कृपया कंपनी को तय ईमेल आईडी: **hello@thrivefuturehabitats.com** पर या कंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट को लिखें। प्रक्रिया और जरूरी कागज़ात के बारे में सवालों के लिए **बीजीएसई फाइनेंशियल्स लिमिटेड से rta@bfsl.co.in** पर संपर्क करें या +91 080–41575234 पर कॉल करें।

थ्राइव फ्यूचर हैबिटैट्स लिमिटेड के लिए
(पहले एडोर मल्टीप्रोडक्ट्स लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी)
हस्ताक्षर/–
विनय कुमार सिंह
डीआईएन : 06497700
प्रबंध निदेशक

स्थान : दिल्ली
दिनांक : 23 जून, 2026

तीसरी मंज़िल, वाई 12–वाई19, एल्डेको सेंटर, मालवीय नगर डीएमआरसी मेट्रो स्टेशन, मालवीय नगर, नई दिल्ली 110017
फोनः +91 7428807663, ईमेल आईडी – hello@thrivefuturehabitats.com

---

IndusInd Bank

पंजीकृत कार्यालय : पीएनए हाउस प्रथम तल, 57 एवं 57/1, गली नं. 17, निकट ईएसआईसी कार्यालय, एमआईडीसी, अंधेरी (पू.), मुम्बई-400093

सार्वजनिक सूचना
प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3(1) के तहत
वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत सूचना की वैकल्पिक सेवा

एतद्वारा निम्नलिखित कर्जदारों को सूचना दी जाती है कि चूंकि उन्होंने **इंडसइंड बैंक लिमिटेड (आईबीएल)** से ग्रहण किये गये ऋण सुविधाओं के ब्याज के भुगतान में चूक की है अतः उनकी ऋण साख सुविधाएँ इससे संबंधित आरबीआई के दिशा–निर्देशों के अनुसार बैंक की बहियों में नॉन–पर्फॉमिंग आस्तियों के रूप में वर्गीकृत कर दी गयी हैं। बैंक ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी अधिनियम) की धारा 13(2) के तहत निम्नलिखित संबंधित कर्जदार को कथित कर्जदारों के अंतिम ज्ञात पते पर मांग सूचना जारी की थी जिसमें कथित मांग सूचनाओं में उल्लिखित निम्नलिखित राशि पर अनुबंध दर पर भावी ब्याज एवं आकस्मिक व्ययों, लागत, प्रभारों आदि सहित नीचे दिये गये विवरण के लिए संबंधित सूचना/ओं की तिथि से 60 दिनों के भीतर संबंधित मांग सूचना/ओं में उल्लिखित राशि का भुगतान करने के लिए कहा गया था। हालांकि प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (सरफैसी नियम) के नियम 3 के अनुसार इस प्रकाशन के माध्यम से भी सर्विस सम्पन्न की जा रही है।

कर्जदार तथा सह–कर्जदार/ों का नाम तथा पता/खाता संख्या	एनपीए की तिथि	मांग सूचना की तिथि	निम्नलिखित तिथि तक कुल बकाया
1. मैसर्स एच.डी. एंड सन्स, प्रोपराइटर – श्री पवन शर्मा (कर्जदार) के माध्यम से 2. श्री पवन शर्मा 3. श्रीमती शालू शर्मा (जिन्हें शालू शर्मा के नाम से भी जाना जाता है) 4. मैसर्स वैष्णवी एंटरप्राइजेज, प्रोपराइटर – सुश्री शालू शर्मा (जिन्हें शालू शर्मा के नाम से भी जाना जाता है) के माध्यम से (सह–कर्जदार) 504/15ए, मेन सर्कुलर रोड, शाहदरा, नई दिल्ली–110032 साथ ही: –487/1–सी–ए–1, प्लॉट नंबर 1–ए, इंडस्ट्रियल एरिया, जीटी रोड, दिलशाद गार्डन, दिल्ली–110095 साथ ही: 504/15 बी, मेन सर्कुलर रोड, शाहदरा, नई दिल्ली–110032 **ऋण खाता संख्या DBC04207N और** 785100043426	08/05/2026	11/06/2026	रु. 3,41,22,183.08/– (रुपये तीन करोड़ इकतालीस लाख बाईस हजार एक सौ तिरासी और आठ पैसे मात्र) तिथि 13.05.2026 तक

प्रतिभूत आस्ति/बंधक सम्पत्ति का विवरणः सम्पत्ति नंबर 504/15 और 504–15अ वाली पूरी सम्पत्ति का वह हिस्सा, जिसका कुल क्षेत्रफल 296 वर्ग गज है (सम्पत्ति नंबर 504/15 का एरिया 148 वर्ग गज + सम्पत्ति नंबर 504/15–अ का एरिया 148 वर्ग गज), जो खसरा नंबर 642 से है और गांव चंदावली उर्फ शाहदरा, मुख्य सर्कुलर रोड, इलाका शाहदरा, दिल्ली–110032 में स्थित है। यह तीन अलग–अलग डीड के माध्यम से है: रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड नंबर 14746 (तारीख 24.07.2012) के माध्यम से अविभाजित 1/3 हिस्सा, रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड नंबर 819 (तारीख 09.02.2016) के माध्यम से अविभाजित 2/3 हिस्सा और गिफ्ट डीड नंबर 14747 (तारीख 04.07.2012) के माध्यम से पूरी सम्पत्ति नंबर 504/15–ए। इसकी सीमाएं इस प्रकार हैं: पूर्वः दूसरों की सम्पत्ति, पश्चिमः दूसरों की सम्पत्ति, उत्तरः दूसरों की सम्पत्ति, दक्षिणः सड़क।

1. सुश्री रितिका ओबेरॉय (कर्जदार) 2. श्री गौरव मंधोक (सह–कर्जदार) फ्लैट नंबर 1202, टॉवर–डी, ट्रेओ अपटाउन, गुर्जर चौक के पास, गुड़गांव–122001 साथ ही: ए–2/22, सेक्टर–5, रोहिणी, उत्तर–पश्चिम दिल्ली–110085 साथ ही: ऑफिस नंबर 3एफ–317, ब्लॉक–डी, सुशांत टॉवर, सुशांत लोक फेज–क्ष गुरुग्राम, हरियाणा–122001 साथ ही: 124, पहली मंजिल, जैन टॉवर–**II**, डिस्ट्रिक्ट सेंटर जनकपुरी, दिल्ली–110058. **ऋण खाता संख्या** 700000010893	01/05/2026	11/06/2026	रु. 6,96,744.06/– (रुपये छः लाख छियानवे हजार सात सौ चौवालीस और छः पैसे मात्र) तिथि 13.05.2026 तक

प्रतिभूत आस्ति/बंधक सम्पत्ति का विवरणः सम्पत्ति नंबर 3एफ–317 (ब्लॉक–डी में ऑफिस स्पेस) का वह हिस्सा, जिसका सुपर एरिया 531 वर्ग फुट है। यह कमर्शियल बिल्डिंग 'सुशांत टॉवर' में है, जो सुशांत लोक फेज–**II**, गुरुग्राम, हरियाणा–122001 में स्थित है (रजिस्टर्ड डीड के अनुसार)। श्री गौरव मधोक के पक्ष में 19.03.2019 की बिक्री विलेख (वसीका नंबर 14227), जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्वः दूसरा फ्लैट, पश्चिमः रास्ता, उत्तरः रास्ता, दक्षिणः प्रवेश द्वार।

1. श्री सुरजीत सिंह (कर्जदार) 2. श्री परमजीत सिंह 3. श्री मंजीत सिंह 4. श्री सिमरनजीत सिंह 5. मैसर्स सतनाम सिंह – पार्टनर श्री सतनाम सिंह, श्री मंजीत सिंह, श्री सुरजीत सिंह के माध्यम से 6. मैसर्स गुरमीत सिंह – अपने पार्टनर श्री सुरजीत सिंह, श्री गुरमीत सिंह के माध्यम से। 7. मैसर्स गुरचरण सिंह – अपने पार्टनर श्री सुरजीत सिंह, श्री गुरचरण सिंह, श्री मंजीत सिंह के माध्यम से (सह–कर्जदार) सम्पत्ति एमएससी नंबर 3/9–ए प्लॉट नंबर 70ए, एमजी रोड, सुभाष पार्क आगरा, उत्तर प्रदेश – 282002 साथ ही: – 158, प्रताप पुरा, आगरा, उ.प्र.- 282001 ऋण खाता संख्या **DAA00033N** और **DAA00032N**	07/03/2026	11/06/2026	रु. 43,45,472.75/– (रुपये तैंतालीस लाख पैंतालीस हजार चार सौ बहत्तर और पिचहत्तर पैसे मात्र) तिथि 11.03.2026 तक

प्रतिभूत आस्ति/बंधक संपत्ति का विवरणः सम्पत्ति नंबर 70ए (नगर निगम नंबर 3/93I), जिसका क्षेत्रफल 905.00 वर्ग गज है और जो महात्मा गांधी रोड, सुभाष पार्क के सामने, रकाबगंज वार्ड, तहसील और ज़िला आगरा, उत्तर प्रदेश – 282002 में स्थित है। यह संपत्ति 05.05.2007 की पंजीकृत वसीयत (जो आगरा के सब–रजिस्ट्रार कार्यालय में बही नंबर 1, खंड नंबर 21, पेज 241/246, क्रम संख्या 27 पर पंजीकृत है) के तहत श्री परमजीत सिंह, श्री मंजीत सिंह और श्री सुरजीत सिंह सभी पुत्र स्वर्गीय श्री मोहन सिंह के नाम है। इसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्वः कॉमन रास्ता, पश्चिमः भरद्वाज का मकान, उत्तरः श्री जे.एन. अरोड़ा और श्री महाजन की कोठी, दक्षिणः संबंधित प्लॉट और कोठी नंबर 70ए के बीच 15.5 फीट का कॉमन रास्ता, जिसे विक्रेता/देनदार द्वारा छोड़ा जाना है।

हम यहां वर्णित कर्जदार से इस सूचना की तारीख से 60 दिनों के भीतर भावी ब्याज और लागत, प्रभारों, व्ययों आदि सहित संबंधित निर्गत मांग सूचनाओं में अधिक स्पष्ट रूप से वर्णित बकाया राशि का हमें भुगतान करने के लिए कहते हैं जिसमें असफल रहने पर हमें कथित अधिनियम की धारा 13(4) और प्रयोज्य नियमों के तहत उपरोक्त प्रतिभूत आस्ति(यों)/अचल सम्पत्ति(यों) के विरुद्ध कार्यवाही करने की स्वतन्त्रता होगी जो कथित कर्जदार(रों)/सह–कर्जदार(रों)/विधिक प्रतिनिधि(यों) के उनकी निजी लागत तथा परिणामों के सम्पूर्ण जोखिम पर कब्जा लेने तक ही सीमित नहीं रहेगा।

कृपया ध्यान दें कि सरफैसी अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार आप सभी को बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना उपर्युक्त प्रतिभूत आस्तियों की बिक्री, पट्टे या अन्यथा विधि से हस्तान्तरित करने से प्रतिबन्धित किया जाता है। आपके द्वारा कथित धारा का कोई उल्लंघन सरफैसी अधिनियम की धारा 29 तथा/अथवा इस सम्बन्ध में किसी अन्य विधिक प्रावधानों के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही को आकर्षित करेगा।

कृपया ध्यान दें कि अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के अनुसार यदि समस्त लागतों, प्रभारों तथा आईबीएल द्वारा किये गये व्ययों सहित आईबीएल की बकाया राशि बिक्री या हस्तान्तरण हेतु निर्धारित तिथि से पहले किसी भी समय अदा कर दी जाती है तो प्रतिभूत आस्ति की बिक्री या हस्तान्तरण आईबीएल द्वारा नहीं किया जायेगा और उस प्रतिभूत आस्ति के हस्तान्तरण या बिक्री के लिए आईबीएल द्वारा कोई भावी कदम नहीं उठाया जायेगा।

तिथि : 23.06.2026
स्थान : दिल्ली/उत्तर प्रदेश

ह./–
कृते इंडसइंड बैंक लिमिटेड
अधिकृत प्राधिकारी

डीएमआई हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड

DMI HOUSING FINANCE — **म